राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट जयपुर, दिनांक : - 8 SEP 2017

:–अधिसूचना:–

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके किया कलापों जिसमें लेबोरेट्री, टेक्नीशियन की सेवाऐं भी सम्मलित है, में हडताल होने/सामूहिक अवकाश या अन्य प्रकार से सेवाओं के प्रदाय नही किये जाने से ऐसी सेवओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं इसके परिणामस्वरूप जन समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके किया कलापों से संबधित समस्त सेवाओं को एतदद्वारा अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है। यह आदेश आगामी 03 माह तक प्रभावी रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सीमा कुमार
उप शासन सचिव,

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
10. निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर। - 8 SEP 2017
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक...........के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव,

new folder rk notification